'सरकारी योजनाओं का तय समय सीमा में लाभ मिले'

मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता बोले- राइट टू सर्विस एक्ट से मिला समय पर सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिलने का अधिकार

संवाद न्यूज एजेंसी

झज्जर। राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समयावधि में जनसेवा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। ऐसे में सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार मिल गया है कि सरकार की सेवाओं व योजनाओं का तय समयसीमा के भीतर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं व योजनाएं सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित है।

मुख्य आयुक्त शहर के राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला में जानकारी दे रहे थे। डीसी श्याम लाल पूनिया ने मुख्य आयुक्त का स्वागत किया।

गुप्ता ने कहा कि निर्धारित समयावधि में कार्य करते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं से लाभान्वित किया जाए। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट हरियाणा आरटीएस.जीओवी.इन पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नोटिफाइड सेवाओं में और सेवाएं जोड़ने या आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत सांझा करने के लिए आरटीएस एचआरवाईएट जीओवी.इन पर ई-मेल कर सकते हैं।

आरटीएस सचिव मीनाक्षी राज ने भी आयोग के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को जानकारी दी : रोहतक मंडल आयुक्त पंकज यादव ने कहा कि सेवा भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया जाए।

इस अवसर पर एसपी राजेश दुग्गल, डीएमसी प्रदीप कौशिक, एसडीएम झज्जर शिखा, एसडीएम बेरी रविंद्र कुमार, एसडीएम बहादुरगढ़ भूपेंद्र सिंह, एसडीएम बादली विशाल कुमार, सीटीएम रेणुका नांदल व डीआईओ अमित बंसल सहित भाजपा जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान व सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण शिविर में जानकारी देते टीसी गुप्ता। संवाद

प्रो-एक्टिव होकर कार्य कर रहा है आयोग

गुप्ता ने कहा कि आयोग प्रो-एक्टिव होकर काम कर रहा है तथा किसी भी अधिकारी की ओर से सेवाएं प्रदान करने में देरी करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगा। नागरिकों को समय पर सेवा उपलब्ध न होने पर झज्जर से चंडीगढ़ तक बैठे अधिकारी की जवाबदेही तय है। उन्होंने कहा कि सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो उसे अपने वेतन से भरना होगा और जिस भी अधिकारी या कर्मचारी पर तीन पेनल्टी लग गई तो आयोग उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश करेगा। यही नहीं, पीड़ित आवेदक को भी आयोग पांच हजार रुपये तक का मुआवजा देरी के लिए दे सकता है।

अधिक फीस वसूल की तो सीएससी संचालक पर होगी कार्रवाई

झज्जर। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान कई लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि नागरिक सुविधा केंद्रों पर संचालकों द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्धारित फीस से ज्यादा पैसे लिए जा हैं। राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि झज्जर जिला में अटल सेवा केंद्र (सीएससी) संचालक सरकारी सेवाओं के लाभ के लिए यदि निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूल करता है तो जांच करके संबंधित सीएससी का लाइसेंस रद्द किया जाए। गुप्ता ने राजकीय महाविद्यालय के सभागार में विभिन्न सामाजिक संगठन प्रतिनिधियों की ओर से सीएससी सेंटर संचालकों द्वारा अधिक फीस वसूल करने की शिकायत पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएससी संचालक किसी भी रूप से यदि सरकारी फीस से अधिक फीस लेता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिले इसके लिए मानीटरिंग बेहद जरूरी है। संवाद